

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी  
प्रमुख सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य परियोजना निदेशक,  
जलागम प्रबन्ध निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

जलागम अनुभाग

देहरादून : दिनांक 04 जुलाई, 2014

विषय:- उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 (यू0डी0डब्ल्यू0डी0पी0  
ग्राम्या-2) हेतु विश्व बैंक द्वारा अनुमन्य वित्त पोषण के ऋण अनुबन्ध के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 2644 / 11-8(1) दिनांक 6 जून, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-2 (UDWDP Phase-2) हेतु ऋण अनुबन्ध को राज्य में लागू किये जाने के लिये महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड से निर्धारित प्रारूप पर Legal Opinion हस्ताक्षरोपरान्त मूलरूप में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



(एस0 रामास्वामी)  
प्रमुख सचिव

संख्या : 239CI / ज0प्र0अनु0 / 2014-5-41(5) / 2013 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को Legal Opinion की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) उप सचिव (MI), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शा0 पत्र सं0 4/4/2010-FB-VII दिनांक 4.6.2014 के संदर्भ में।

(2) कंट्री डाइरेक्टर, विश्व बैंक, 18-20 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली 110 001।

संलग्न- उक्तानुसार।

आज्ञा से,


(देवेन्द्र सिंह)  
अनु सचिव

**LEGAL OPINION**

*Dated - 28-06-2014*

As required by Section 8.02. Of Article VIII of the General Condition for Credits and Grants for the International Development Association (hereinafter referred to as "the Association") dated July 31, 2010. I, U.K. Uniyal, Advocate General of the State of Uttarakhand (hereinafter Uttarakhand), record my opinion and certify that the Project Agreement (Credit No.5369-IN) for Uttarakhand Decentralized Watershed Development II Project (Gramya II) signed between International Development Association and State of Uttarakhand, dated 30<sup>th</sup> may, 2014, has been duly authorized by and executed and delivered on behalf of the State of Uttarakhand, and is legally binding upon the State of Uttarakhand in accordance with its terms,

To my Knowledge there are no facts, which would affect the validity of the opinion given by me as aforesaid.



**(U.K. Uniyal)**  
Advocate General  
Advocate General  
UTTARAKHAND